

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरु)

पीठासीन अधिकारी श्री सन्दीप चौधरी (आर.ए.एस.)

ग.नं. - 08/2024
विमला पुत्री सतवीर उम्र 31 वर्ष जाति धानक निवासी रामपुरा तहसील तारानगर जिला चूरु।

- प्रार्थनी -

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) तारानगर जिला चूरु।

- अप्रार्थी -

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 138 लैण्ड रेवन्यू एक्ट व धारा 88 आर.टी.एक्ट.

निर्णय

दिनांक 09/11/24

प्रार्थनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना गय शपथ पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थनी के नाम कृषि भूमि रोही मौजा रामपुरा तहसील तारानगर के खसरा सं. 350 तादादी 5.9937 हेक्ट., खसरा सं. 351 तादादी 0.1517 हेक्ट., खसरा नं. 395/363 तादादी 0.3920 हेक्ट., खसरा नं. 396/362 तादादी 0.6828 हेक्ट. कुल तादादी 7.2202 हेक्ट. हैं। जिसमें प्रार्थनी का नाम बसकर अंकित है। जो गलत है, जबकि प्रार्थनी का नाम विमला सही हैं। प्रार्थनी के आधार कार्ड, मूल निवास पत्र, जन आधारकार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में प्रार्थनी का नाम विमला है। नाम में भिन्नता होने के कारण प्रार्थनी को कृषि ऋण, फसल वान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब प्रार्थनी जमाबन्दी में अपना नाम दुरुस्त करवाना चाहती है। जमाबन्दी में अपना नाम दुरुस्त करवाने के लिए प्रार्थनी ने तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था। परन्तु तहसीलदार ने बिना किसी न्यायालय के आदेश के नाम दुरुस्त करने से मना कर दिया। इसलिए श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर वेदन है कृषि भूमि रोही मौजा रामपुरा तहसील तारानगर के खसरा सं. 350 तादादी 5.9937 हेक्ट., खसरा सं. 351 तादादी 0.1517 हेक्ट., खसरा नं. 395/363 तादादी 0.3920 हेक्ट., खसरा नं. 396/362 तादादी 0.6828 हेक्ट. कुल तादादी 7.2202 हेक्ट. में प्रार्थनी का नाम विमला किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना पत्र में आई रिपोर्ट भू.अ.नि. तारानगर के अनुसार प्रार्थनी विमला राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करवाना चाहती है। अब प्रार्थनी अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थनी बसकर के स्थान पर विमला करवाना चाहती है। आज दिनांक 09/11/24 राजस्व रिकार्ड में प्रार्थनी बसकर दर्ज है। अतः प्रार्थनी बसकर के स्थान पर विमला दुरुस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना उचित होगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि भू.अ.नि. तारानगर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थनी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र कृषि भूमि रोही मौजा रामपुरा तहसील तारानगर के खसरा सं. 350 तादादी 5.9937 हेक्ट., खसरा सं. 351 तादादी 0.1517 हेक्ट., खसरा नं. 395/363 तादादी 0.3920 हेक्ट., खसरा नं. 396/362 तादादी 0.6828 हेक्ट. कुल तादादी 7.2202 हेक्ट. के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रविष्टि बसकर Delete कर इसके स्थान पर विमला दुरुस्त किया जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। विचार न्यायालय का यह निर्णय अपीलिय निर्णय है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 09/11/24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सन्दीप चौधरी आर.ए.एस.)

पीठासीन अधिकारी एवं

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरु)